डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक :सम्ब/1775/2026 दिनांक 11/08/2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक/सचिव,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद।

विषयः— **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-784/सत्तर-3-2026-1963106, दिनांक 05 अगस्त, 2026 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मास्टर डाटा तैयार/अद्यतन करने, शुल्क एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण, छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण, संस्थान स्तर पर सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय स्तर से मास्टर डाटा अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी विवरण को अग्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित अभिलेखों से उसका भली-भाँति मिलान एवं परीक्षण कर लिया जाए। पाठ्यक्रम, शुल्क, सीट, छात्र संख्या, नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, आधार, श्रेणी, आय अथवा अन्य किसी भी विवरण में त्रुटिपूर्ण/गलत सूचना अंकित किये जाने अथवा अपूर्ण/भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धन/प्राचार्य की होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय स्तर से अपेक्षित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित अभिलेख/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके। शासन द्वारा उक्त योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। **किसी भी स्तर पर विलम्ब, लापरवाही अथवा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण छात्रवृत्ति आवेदन के सत्यापन, डाटा लॉक अथवा भुगतान में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**

अतः समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय-सारिणी 2026-27 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— **यथोपरि।**

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप-कुलसचिव, आवासीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवासीय ईकाइ में संचालित समस्त संस्थानों का अवगत कराते हुए कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett

AIScanner

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक :शम्ब / 1775 / 2026 दिनांक 11 / 08 / 2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक / सचिव,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद।

विषयः– दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–784 / सत्तर–3–2026–1963106, दिनांक 05 अगस्त, 2026 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मास्टर डाटा तैयार / अद्यतन करने, शुल्क एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण, छात्र–छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण, संस्थान स्तर पर सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय स्तर से मास्टर डाटा अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी विवरण को अग्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित अभिलेखों से उसका भली–भाँति मिलान एवं परीक्षण कर लिया जाए। पाठ्यक्रम, शुल्क, सीट, छात्र संख्या, नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, आधार, श्रेणी, आय अथवा अन्य किसी भी विवरण में त्रुटिपूर्ण / गलत सूचना अंकित किये जाने अथवा अपूर्ण / भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धन / प्राचार्य की होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय स्तर से अपेक्षित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित अभिलेख / सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके। शासन द्वारा उक्त योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। **किसी भी स्तर पर विलम्ब, लापरवाही अथवा गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण छात्रवृत्ति आवेदन के सत्यापन, डाटा लॉक अथवा भुगतान में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**

अतः समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय–सारिणी 2026–27 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप–कुलसचिव, आवासीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवासीय ईकाइ में संचालित समस्त संस्थानों का अवगत कराते हुए कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Aflisvlett

AIScanner

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक :सम्ब / 1775 / 2026 दिनांक : 11 / 08 / 2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक / सचिव,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद।

विषयः— दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–784 / सत्तर–3–2026–1963106, दिनांक 05 अगस्त, 2026 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मास्टर डाटा तैयार / अद्यतन करने, शुल्क एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण, छात्र–छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण, संस्थान स्तर पर सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

महाविद्यालय स्तर से मास्टर डाटा अथवा छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी विवरण को अग्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित अभिलेखों से उसका भली–भाँति मिलान एवं परीक्षण कर लिया जाए। पाठ्यक्रम, शुल्क, सीट, छात्र संख्या, नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, आधार, श्रेणी, आय अथवा अन्य किसी भी विवरण में त्रुटिपूर्ण / गलत सूचना अंकित किये जाने अथवा अपूर्ण / भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धन / प्राचार्य की होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय स्तर से अपेक्षित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित अभिलेख / सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके। शासन द्वारा उक्त योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। **किसी भी स्तर पर विलम्ब, लापरवाही अथवा गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण छात्रवृत्ति आवेदन के सत्यापन, डाटा लॉक अथवा भुगतान में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**

अतः समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय–सारिणी 2026–27 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप–कुलसचिव, आवासीय इकाई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवासीय ईकाइ में संचालित समस्त संस्थानों का अवगत कराते हुए कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett

AIScanner

संख्या- 784 /सत्तर-3-2026-1963106

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा,
   उ0प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
3. **अपर सचिव,**
   उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
   लखनऊ।
4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
   उ0प्र0।

Prof. Anil Gupta
Nodal officer Scholarship

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026**

Regis...

विषयः-दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय सारिणी 2026-27 निर्गत की गयी है, जो निम्नवत है :-

शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाना

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा तैयार/ अद्यतन करना	22 जुलाई – 15 अगस्त 2026
विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा शुल्क/ पाठ्यक्रम सत्यापन	23 जुलाई – 30 अगस्त 2026
जिला स्तर पर मास्टर डेटा सत्यापन एवं लॉक किया जाना	25 जुलाई – 14 सितम्बर 2026
अल्पसंख्यक वर्ग हेतु NSP पोर्टल पर पंजीकृत निजी संस्थानों की मार्किंग	25 जुलाई – 14 सितम्बर 2026

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) छात्रों हेतु आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
आवेदन / नवीनीकरण	15 सितम्बर – 15 अक्टूबर 2026
संस्थान द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं सत्यापन	15 सितम्बर – 25 अक्टूबर 2026
विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापन	15 सितम्बर - 05 नवम्बर 2026
NIC द्वारा स्क्रूटनी	06 नवम्बर – 20 नवम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक	21 नवम्बर - 26 नवम्बर 2026
मांग सृजन (DLC = जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति)	27 नवम्बर – 30 नवम्बर 2026

सन्देहास्पद डाटा (Renewal) का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
संदिग्ध डाटा सत्यापन	21 नवम्बर – 20 दिसम्बर 2026
NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी	21 दिसम्बर - 31 दिसम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक	01 जनवरी – 10 जनवरी 2027
मांग सृजन	11 जनवरी – 15 जनवरी 2027
सन्देहास्पद डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	16 जनवरी - 25 जनवरी 2027

AIScanner

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) छात्रों हेतु आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
ऑनलाइन आवेदन	15 सितम्बर – 31 अक्टूबर 2026
प्रिंट निकालना एवं हार्डकॉपी जमा करना	16 सितम्बर - 04 नवम्बर 2026
शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन	16 सितम्बर - 10 नवम्बर 2026
विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापन	16 सितम्बर - 25 नवम्बर 2026
NIC द्वारा स्क्रूटनी	26 नवम्बर – 05 दिसम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक करना	06 दिसम्बर – 15 दिसम्बर 2026
मांग सृजन	16 दिसम्बर – 20 दिसम्बर 2026

सन्देहास्पद डाटा (Fresh) का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
संदिग्ध डाटा का सत्यापन	06 दिसम्बर - 31 दिसम्बर 2026
NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी	01 जनवरी - 10 जनवरी 2027
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक करना	11 जनवरी - 20 जनवरी 2027
मांग सृजन	21 जनवरी - 25 जनवरी 2027
सन्देहास्पद डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	27 जनवरी - 31 जनवरी 2027

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समयसारिणी के अनुसार यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुए उक्त की सूचना शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नवत निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 30 अगस्त,2026 तक affiliating एजेंसी /सभी विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क पाठ्यक्रम का सत्यापन कराकर उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा जिन विश्वविद्यालय द्वारा उक्त समयावधि में प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया जाता उनके कुलसचिव के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(2) सभी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा अपने पाठ्यक्रम का सत्यापन एवं गत पांच वर्षों में दी गई स्कॉलरशिप की सूचना वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

(3) समस्त कुलसचिव, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 अगस्त, 2026 से पूर्व अपने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं कॉलेजेज को किन किन पाठ्यक्रमों का सत्यापन किया गया है उसकी सूचना विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए।

(4) समस्त कुलसचिव, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 एवं अन्य एफिलेटिंग एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रमुख सचिव समाज कल्याण को दिनांक 25 जुलाई, 2026 से पूर्व सत्यापित पाठ्यक्रमों की सूची अपने हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- यह भी उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्येक सप्ताह सोमवार को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एवं पाक्षिक रूप से सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समीक्षा की जायेगी।

भवदीय,

Digitally signed by SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 06-08-2026 11:38
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

AIScanner

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, विशेष सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दिनांक 30 अगस्त, 2026 तक प्रत्येक सोमवार अपने स्तर पर विश्वविद्यालयवार उक्त कार्य की समीक्षा करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के निदेशक से निरन्तर समन्वय करते हुये उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर यदि कोई कार्यवाही अपेक्षित है या किसी विश्वविद्यालय द्वारा गलत डेटा का सत्यापन किया गया है तो उसकी सूचना भी सम्बन्धित से प्राप्त की जाय तथा समाज कल्याण विभाग से प्रत्येक सप्ताह विश्वविद्यालयवार अद्यतन स्थिति क्या है, इसकी सूचना भी प्राप्त करने का कष्ट करें। साथ ही कुलसचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर निदेशक के माध्यम से मंडल में rheo के द्वारा इसका सत्यापन भी कराया जाए और कहीं अनियमितता प्रकाश में आती है तो उस संबंध में कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

AIScanner

शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाना

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
मास्टर डाटा तैयार/ अद्यतन करना	22 जुलाई – 15 अगस्त 2026
विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा शुल्क/ पाठ्यक्रम सत्यापन	23 जुलाई – 30 अगस्त 2026
जिला स्तर पर मास्टर डेटा सत्यापन एवं लॉक किया जाना	25 जुलाई – 14 सितम्बर 2026
अल्पसंख्यक वर्ग हेतु NSP पोर्टल पर पंजीकृत निजी संस्थानों की मार्किंग	25 जुलाई – 14 सितम्बर 2026

AIScanner

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण (Renewal) छात्रों हेतु आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया

प्रक्रियात् मक कार्यवाही	समयावधि
आवेदन/ नवीनीकरण	15 सितम्बर – 15 अक्टूबर 2026
संस्थान द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं सत्यापन	15 सितम्बर – 25 अक्टूबर 2026
विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापन	15 सितम्बर – 05 नवम्बर 2026
NIC द्वारा स्क्रूटनी	06 नवम्बर – 20 नवम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक	21 नवम्बर – 26 नवम्बर 2026
मांग सृजन	27 नवम्बर – 30 नवम्बर 2026
शुद्व डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	01 दिसम्बर – 10 दिसम्बर 2026

DLC=जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति

AIScanner

सनदेहासपद डाटा (Renewal) का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही

प्रक्रियात् मक कार्यवाही	समयावधि
संदिग्ध डाटा सत्यापन	21 नवम्बर – 20 दिसम्बर 2026
NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी	21 दिसम्बर – 31 दिसम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक	01 जनवरी – 10 जनवरी 2027
मांग सृजन	11 जनवरी – 15 जनवरी 2027
सन्देहास्पद डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	16 जनवरी – 25 जनवरी 2027

AIScanner

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) छात्रों हेतु आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया

प्रक्रियात् मक कार्यवाही	**समयावधि**
ऑनलाइन आवेदन	15 सितम्बर – 31 अक्टूबर 2026
प्रिंट निकालना एवं हार्डकॉपी जमा करना	16 सितम्बर – 04 नवम्बर 2026
शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन	16 सितम्बर – 10 नवम्बर 2026
विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सत्यापन	16 सितम्बर – 25 नवम्बर 2026
NIC द्वारा स्क्रूटनी	26 नवम्बर – 05 दिसम्बर 2026
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक करना	06 दिसम्बर – 15 दिसम्बर 2026
मांग सृजन	16 दिसम्बर – 20 दिसम्बर 2026
शुद्व डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	21 दिसम्बर – 31 दिसम्बर 2026

AIScanner

सनदेहास्पद डाटा (Fresh) का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही

प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
संदिग्ध डाटा का सत्यापन	06 दिसम्बर – 31 दिसम्बर 2026
NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी	01 जनवरी – 10 जनवरी 2027
DLC द्वारा सत्यापन एवं डाटा लॉक करना	11 जनवरी – 20 जनवरी 2027
मांग सृजन	21 जनवरी – 25 जनवरी 2027
सन्देहास्पद डाटा के पात्र छात्रों को भुगतान	27 जनवरी – 31 जनवरी 2027

AIScanner

- 22 जुलाई 2026 से प्रक्रिया प्रारम्भ।
- दिसम्बर 2026 से पात्र छात्रों को चरणबद्ध DBT भुगतान।
- 31 जनवरी 2027 तक नवीन एवं नवीनीकरण दोनों श्रेणियों की समस्त प्रक्रिया पूर्ण।

<u>पूरी समय-सारिणी दे</u>